न्यायालयः—अमनदीप सिंह छाबडा, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, बैहर जिला बालाघाट

आप.प्रक.कमांक—609 / 2013 संस्थित दिनांक 04.07.2013 फाई. क.234503000082013

मध्यप्रदेश राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र बैहर जिला बालाघाट (म.प्र.)

/ <u>/ विरूद</u> / /

देवरथ उर्फ गोलू पिता सूरजलाल भौतेकर, उम्र—24 वर्ष, निवासी ग्राम किसनटोला कटंगी थाना बैहर जिला बालाघाट

_ _ _ _ <u>आरापा</u> // <u>निर्णय</u> // <u>(दिनांक 08/12/2017 को घोषित)</u>

- 01— अभियुक्त पर भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 323, 506 भाग—2 का आरोप है कि उसने घटना दिनांक 22.06.13 को 20:00 बजे किसनटोला (कटंगी) थाना क्षेत्र बैहर में फरियादी विशाखा गनवीर को लोकस्थान पर अथवा उसके समीप मॉ—बहन की अश्लील गालियाँ उच्चारित कर क्षोभ कारित कर फरियादी विशाखा गनवीर को लाठी से बांये हाथ में मारकर स्वेच्छया साधारण उपहित कारित किया एवं फरियादी विशाखा गनवीर को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया।
- 02— अभियोजन कहानी संक्षेप में इस प्रकार है कि फरियादी विशाखा गनवीर ने रिपोर्ट दर्ज करायी कि दिनांक 22.06.13 को करीब 08:00 बजे रात्रि में वह अपने बच्चों के साथ घर में थी तथा उसका पित बीज के धान के लिये ग्राम गोवारी गया था, तभी देवरथ अपने घर से चिल्लाते हुये आया और बोला कि उसकी पित्न को सिखाते—पढ़ाते हो कहकर मॉ—बहन की गंदी—गंदी गालियाँ देकर हाथ में रखी लाठी से उसके बांये हाथ में मार दिया, जिससे चोट लगी। घटना में बीच—बचाव जीयालाल, रजवंतीबाई, देवश्री ने किये तब देवरथ ने रिपोर्ट करने जाओगे तो जान से मार दूंगा की धमकी दिया। उसके पित के आने पर घटना की बात बताई तथा रात्रि होने से अगले दिन रिपोर्ट दर्ज कराने आयी। उक्त रिपोर्ट के आधार पर अपराध क्रमांक 86/13 धारा—294, 323, 506 भाग—दो पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर जमानत—मुचलका पर रिहा किया गया। संपूर्ण विवेचना उपरांत अभियोग पत्र क्रमांक 74/13 तैयार किया जाकर न्यायालय में पेश किया गया।

03— आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता की धारा—294, 323, 506 भाग—2 के अंतर्गत आरोप पत्र तैयार कर पढ़कर सुनाए व समझाए जाने पर उसने जुर्म अस्वीकार किया एवं विचारण का दावा किया। अभियुक्त ने धारा—313 द.प्र.सं. के अंतर्गत अभियुक्त कथन में स्वयं को झूठा फंसाया जाना प्रकट किया। अभियुक्त ने प्रतिरक्षा में बचाव साक्ष्य पेश नहीं की।

04- प्रकरण के निराकरण हेतु विचारणीय बिन्दु निम्न है:--

- 1.क्या आरोपी ने घटना दिनांक 22.06.13 को 20:00 बजे किसनटोला (कटंगी) थाना क्षेत्र बैहर में फरियादी विशाखा गनवीर को लोकस्थान पर अथवा उसके समीप मॉ—बहन की अश्लील गालियाँ उच्चारित कर क्षोभ कारित किया ?
- 2.क्या आरोपी ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी विशाखा गनवीर को लाठी से बांये हाथ में मारकर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित किया ?
- 3.क्या अभियुक्त ने उक्त घटना दिनांक, समय व स्थान पर फरियादी विशाखा गनवीर को संत्रास कारित करने के आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया ?

- विवेचना एवं निष्कर्ष :-

विचारणीय प्रश्न कमांक 01 से 03

सुविधा की दृष्टि से एवं साक्ष्य की पुनरावृत्ति न हो इसलिए चारों विचारणीय प्रश्नों का निराकरण एक साथ किया जा रहा है।

05— साक्षी विशाखा अ.सा.02 ने कथन किया है कि वह आरोपी देवरथ को जानती है। घटना वर्ष 2013 की रात्रि 8:00 बजे उसके घर की है। घटना दिनांक को आरोपी काट डालूंगा कहते हुये चिल्लाते हुये उसके घर पर आया था उस समय आरोपी के पास लाठी थी जिससे उसे आरोपी ने उसके बांये हाथ में मारा था। आरोपी उसे मॉ—बहन की गन्दी—गन्दी गाली दे रहा था, जो उसे सुनने में बुरी लगी। जहां से आरोपी उसे गाली दे रहा था वहां से दो—तीन कदम की दूरी पर आने—जाने की एक गली है। घटना के समय उसके पति घर पर नहीं थे, जो धान का बीज लेने के लिये गोआरी गये हुये थे। उसका बीच—बचाव जियालाल गजिभये ने किया था। उसने घटना की रिपोर्ट थाना बैहर में की थी जो प्रपी—01 है, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसका ईलाज शासकीय अस्पताल बैहर में हुआ था। पुलिस को उसने घटनास्थल बता दिया था। पुलिस ने उसके बताये अनुसार घटनास्थल का मौका नक्शा प्रपी—02 बनाया था, जिसके ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे।

साक्षी विशाखा अ.सा.02 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसका और आरोपी का घर पास-पास में है, उसके घर के सामने से आने-जाने की गली है, आरोपी की पत्नि और उसके पति के बीच में वाद-विवाद हुआ था, जिसका प्रकरण न्यायालय में चला था, किन्तु इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उक्त केस के समय ही यह घटना घटित हुई थी, उसके द्वारा उसके पति के चलने वाले केस से बचने के लिए उसने आरोपी के विरूद्ध में झूठी रिपोर्ट लेख करायी थी। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि रिपोर्ट प्रपी.01 एवं घटनास्थल का मौका-नक्शा प्रपी.02 की कार्यवाही पुलिस ने थाने में की थी, पुलिस ने उसे दोनों दस्तावेज पढ़कर नहीं सुनाये थे, किन्तु इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि आरोपी अपनी पत्नि के साथ वाद-विवाद कर रहा था, तब वह बीच में गई थी, बीच में जाने से ही उसे चोट लगी थी, आरोपी ने उसके साथ कोई मारपीट और गाली-गलीच नहीं की थी, उसके द्वारा अपने पति के चलने वाले केस से बचाने के लिये आरोपी के विरूद्ध झुठी रिपोर्ट लेख कराई थी, किन्तु इन सुझावों को स्वीकार किया है कि आरोपी की पत्नि के द्वारा लिखाई गई रिपोर्ट में उसके पति को सजा हुई है, जिसकी अपील बालाघाट में चल रही है, वह आज लकड़ी की लंबाई चौड़ाई नहीं बता सकती। साक्षी के अनुसार क्योंकि वह अपने बचाव में लगी थी। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि रिपोर्ट लिखाते समय उसके पति उसके साथ थाने गये थे तथा उक्त रिपोर्ट उसके पति के द्वारा लेख कराई गई थी। साक्षी के अनुसार उसने स्वयं लेख कराई थी।

साक्षी रजवंती अ.सा.01 ने कथन किया है कि वह आरोपी एवं 07-प्रार्थी दोनों को जानती है। घटना के संबंध में उसे कोई जानकारी नहीं है। उसने पुलिस को बया नहीं दिया था। पुलिस ने उसके समक्ष प्रपी.01 जप्ती की कार्यवाही नहीं की थी और ना ही ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी को गिरफतार कर गिरफतारी पत्रक प्रपी.02 तैयार नहीं किये थे और ना ही ए से ए भाग पर उसके हस्ताक्षर है। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि घटना दिनांक को उसे विशाखाबाई ने बतायी थी कि देवरथ उर्फ गोलू ने उसे गंदी-गंदी गाली देकर लकड़ी से मारपीट किया था, तब उसके हाथ से खून निकलते हुये देखी थी, उसे विशाखाबाई ने बतायी थी कि उसे जान से खत्म कर दुंगा की धमकी दिया था। साक्षी ने उसका पुलिस कथन प्रपी.03 पुलिस को न देना व्यक्त किया। साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि आरोपी देवरथ से उसके सामने पुलिस ने एक लाठी जप्त किया था, आरोपी देवरथ को पुलिस ने उसके सामने से गिरफतार किया था। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसके समक्ष कोई जप्ती पत्रक तैयार नहीं किया गया था, आरोपी को गिरफतार भी नहीं किया गया था, उसने पुलिस को बयान नहीं दिया था। पुलिस वालों ने उसके

बयान कैसे लेख कर लिये इसका कारण वह नहीं बता सकती।

साक्षी जियालाल अ.सा.03 ने कथन किया है कि वह आरोपी एवं 08-प्रार्थी दोनों को जानता है। घटना उसके न्यायालयीन कथन से लगभग एक वर्ष पूर्व रात्रि 8:00 बजे विशाखा के घर की है। घटना दिनांक को आरोपी और विशाखा के पति का झगडा हो रहा था तो उसने बीच बचाव किया था, झगडे के समय विशाखा भी अपने घर पर थी। पुलिस ने पूछताछ कर उसके बयान लिये थे। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने यह स्वीकार किया कि दिनांक 22.06.13 को रात्रि लगभग 8:00 बजे उसे राजेन्द्र के मकान के तरफ हल्ला होने की आवाज सुनायी दी थी तो वह राजेन्द्र के मकान के तरफ जा रहा था, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि आरोपी देवरथ विशाखा को मॉ-बहन की गन्दी-गन्दी गाली दे रहा था। यह स्वीकार किया है कि घटना के समय आरोपी के पास लकडी थी, किन्तू यह अस्वीकार किया है कि उसने आरोपी को लकड़ी से विशाखा को बांये हाथ में मारते ह्ये देखा था। उसे दूसरे दिन विशाखा ने बताया था कि उसे देवरथ ने लकड़ी से बांये हाथ में मारा है। यह अस्वीकार किया है कि उसने विशाखा के बांये हाथ में चोट भी देखा था, किन्तु यह स्वीकार किया है कि सामान्यतः यह होता है कि जिसको चोट आती है वहीं रिपोर्ट करने जाती है और उसका ही ईलाज होता है। साक्षी के अनुसार आरोपी और विशाखा के बीच में हुये झगड़े की बात को लेकर गांव का सरपंच बैठक करने की बात सुबह कह रहा था। साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि घटना दिनांक को आरोपी ने विशाखा के पति के साथ झगड़ा नहीं किया था, विशाखा के साथ झगड़ा किया था। साक्षी ने इन सुझावों को भी अस्वीकार किया है कि आरोपी विशाखा को मॉ-बहन की गंदी-गंदी गाली दे रहा था तथा उसने पुलिस को प्रपी-03 का कथन दिया था।

साक्षी जियालाल अ.सा.०३ ने अपने प्रतिपरीक्षण में कथन किया है 09-कि उसे इस बात की जानकारी नहीं है कि आरोपी की पत्नि और प्रार्थी के पति के बीच छेडछाड हयी थी। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उसने यह सुना था कि प्रार्थी का पति आरोपी के घर घुसकर आरोपी की पत्नि से छेंडछाड किया था, किन्तु यह स्वीकार किया है कि आरोपी और प्रार्थी के पति के बीच में तू-तू मैं-मैं हो रही थी। वह नहीं बता सकता कि उक्त वाद-विवाद में उनके बीच में विशाखा गई थी और बीच-बचाव के दौरान ही विशाखा गिरी थी और उसे चोट आई थी। साक्षी ने यह स्वीकार किया है कि आरोपी का और विशाखा का उसके सामने कोई झगड़ा एवं गाली-गलीच नहीं हुई थी, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि विशाखा ने पुराने झगड़े को लेकर ही आरोपी के विरूद्ध में झूठी रिपोर्ट लेख करायी है। साक्षी ने इन सुझावों को स्वीकार किया है कि घटना आरोपी के घर के पास की है, आरोपी के घर के सामने लागनबाई और प्रकाश भी रहते है, किन्तु यह अस्वीकार किया है कि वह यह जानता है कि विशाखा का विवाद तागनबाई और प्रकाश से होते रहता है। साक्षी ने इन सुझावों को भी स्वीकार किया है कि पुलिस ने उसका बयान उसे

पढ़कर नहीं बताया था और ना ही उसने पढ़कर देखा था, पुलिस ने उसका कोई बयान नहीं लिया था यदि उसके नाम से बयान लगा हो तो वह कारण नहीं बता सकता तथा आरोपी ने विशाखा को कोई गाली—गलौच व मारपीट नहीं की थी।

- 10— साक्षी डाँ० कुमरे अ.सा.04 ने कथन किया है कि वह दिनांक 23.06.13 को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बैहर में पदस्थ था। उक्त दिनांक को थाना बैहर से आरक्षक प्रदीप कमांक 1068 द्वारा आहत श्रीमती विशाखा को उसके समक्ष चिकित्सीय परीक्षण हेतु लाया गया। उक्त आहत का चिकित्सीय परीक्षण करने पर उसने आहत के शरीर पर एक चोट पाया था जो कि कंट्यूजन विथ एब्रेजन मध्य भाग पर छोटे आकार की खरोंच होना पाया था जो भूरापन, अनियमित किनारे लिये एवं सूखा हुआ रक्त लिये हुए था। उक्त चोट बांये हाथ में बाहर की तरफ पाया था। उसकी रिपोर्ट प्रपी—4 है जिसके अ से अ भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उसके मतानुसार उक्त चोट साधारण प्रकृति की थी, जो कि कडी एवं बोथरी वस्तु से आ सकती है जो उसके परीक्षण करने के 24 घंटे के अंदर की थी। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उक्त चोट स्व—कारित हो सकती है तथा उक्त चोट गिरने से भी आ सकती है। साक्षी ने यह अस्वीकार किया है कि उसने आहत का परीक्षण नहीं किया था और पुलिसवालों के कहने पर झूठी रिपोर्ट तैयार की थी।
- 11— साक्षी प्रकाश अ.सा.05 ने कथन किया है कि वह आरोपी को जानता है। उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है। पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी से कुछ जप्त नहीं किया था और ना ही आरोपी को गिरफतार किया था। अभियोजन द्वारा साक्षी से सूचक प्रश्न पूछे जाने पर साक्षी ने इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी द्वारा पेश करने पर थाना बैहर में एक बांस की लाठी जप्त कर जप्ती पत्रक बनाया था, परन्तु जप्ती पत्रक प्र.पी.01 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है, पुलिस ने उसके समक्ष आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक बनाया था, परन्तु गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.02 के बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने बचाव पक्ष के इन सुझावों को स्वीकार किया है कि उसे घटना की कोई जानकारी नहीं है, पुलिस ने उससे बैहर थाने में कागजों पर हस्ताक्षर करा लिये थे तथा उसके समक्ष आरोपी से कोई कार्यवाही नहीं की गई थी।
- 12— साक्षी कान्हूसिंग अ.सा.06 ने कथन किया है कि वह दिनांक 23.06.2013 को थाना बैहर में प्रधान आरक्षक के पद पर पदस्थ था। उक्त दिनांक को अपराध कमांक 86 / 13 की केस डायरी प्राप्त होने पर उसके द्वारा घटनास्थल जाकर घटनास्थल का मौका—नक्शा प्रार्थी विशाखा की निशादेही पर

तैयार किया गया था, जो प्र.पी.02 है, जिसके बी से बी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा प्रार्थी विशाखा एवं गवाह जियालाल, रजवंती तथा देवश्री के कथन उनके बताये अनुसार लेखबद्ध किये गये थे। दिनांक 24.06.2013 को आरोपी देवरथ द्वारा पेश करने पर थाना बैहर में गवाह प्रकाश एवं रजवंती के समक्ष बांस की लाठी जप्त कर जप्ती पत्रक प्र.पी.01 तैयार किया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके हस्ताक्षर है। उक्त दिनांक को ही उसके द्वारा उक्त गवाहों के समक्ष आरोपी को गिरफ्तार कर गिरफ्तारी पत्रक प्र.पी.02 तैयार किया गया था, जिसके सी से सी भाग पर उसके तथा डी से डी भाग पर आरोपी के हस्ताक्षर है। सम्पूर्ण विवेचना उपरांत उसके द्वारा अंतिम प्रतिवेदन थाना प्रभारी को प्रस्तुत किया जाकर न्यायालय को प्रेषित किया गया था।

- 13— साक्षी कान्हूसिंग अ.सा.06 ने अपने प्रतिपरीक्षण में बचाव पक्ष के इन सुझावों को अस्वीकार किया है कि उसके द्वारा घटनास्थल का मौका—नक्शा फरियादी के बताये अनुसार लेख न कर थाना बैहर में बैठकर अपने मन से तैयार किया गया था, फरियादी एवं गवाहों के कथन भी उनके बताये अनुसार लेख न कर अपने मन से लेख कर लिये गये थे, उसके द्वारा आरोपी देवस्थ से गवाहों के समक्ष किसी प्रकार की जप्ती नहीं की गई थी और जप्ती पत्रक अपने मन से तैयार किया गया था, उसके द्वारा आरोपी को गवाहों के समक्ष गिरफ्तार नहीं किया जाकर गिरफ्तारी पत्रक अपने मन से तैयार कर लिया गया था, उसके द्वारा फरियादी से मिलकर आरोपी के विरूद्ध गलत विवेचना कर आरोपी को प्रकरण में झूठा फंसाया गया है।
- प्रकरण में साक्षी विशाखा अ.सा.02 के अतिरिक्त अन्य किसी साक्षी ने घटना का समर्थन नहीं किया है। विशाखा अ.सा.०२ ने अपने मुख्यपरीक्षण तथा प्रथम सूचना रिपोर्ट प्र.पी.01 में जियालाल द्वारा घटना में बीच-बचाव करने के कथन किये है और व्यक्त किया है कि घटना के समय उसके पति घर पर नहीं थे। जबकि जियालाल अ.सा.०३ ने घटना के समय आरोपी और विशाखा के पति के मध्य हुए झगडे में बीच-बचाव करने के कथन किये है। प्रकरण में परिवादी विशाखा अ.सा.02 के पति के कथन उपलब्ध नहीं है और उसे साक्षी नहीं बनाने के संबंध में भी कोई स्पष्टीकरण उपलब्ध नहीं है। यद्यपि परिवादी की मेडिकल रिपोर्ट प्र.पी.04 से उसके बांये हाथ पर चोट की पृष्टि होती है, तथापि चोट की प्रकृति को देखते हुए परिवादी के कथन विश्वसनीय प्रतीत नहीं होते। प्रकरण की साक्ष्य से घटना के संबंध में युक्ति-युक्त संदेह उत्पन्न होता है, जिसका लाभ अभियुक्त को दिया जाना उचित प्रतीत होता है, जिससे यह संदेह से परे प्रमाणित नहीं होता है कि अभियुक्त ने घटना दिनांक समय व स्थान पर फरियादी विशाखा गुनवीर को लोकस्थान पर अथवा उसके समीप मॉ-बहन की अश्लील गालियाँ उच्चारित कर क्षोभ कारित कर फरियादी विशाखा गनवीर को लाठी से बांये हाथ में मारकर स्वेच्छया साधारण उपहति कारित किया एवं फरियादी विशाखा गनवीर को संत्रास कारित करने के

आशय से जान से मारने की धमकी देकर आपराधिक अभित्रास कारित किया। अतः अभियुक्त देवरथ उर्फ गोलू को भारतीय दण्ड संहिता की धारा–294, 323, 506 भाग–दो के अपराध के आरोपों से दोषमुक्त किया जाता है।

- 15— अभियुक्त के जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते हैं।
- 16— प्रकरण में जप्तशुदा संपत्ति एक बांस की लकड़ी मूल्यहीन होने से नष्ट की जावे अथवा अपील होने की दशा में माननीय अपीलीय न्यायालय के आदेश का पालन किया जावे।
- 17— प्रकरण में अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में निरूद्ध नहीं रहा है। उक्त संबंध में पृथक से धारा—428 द.प्र.सं का प्रमाण पत्र बनाया जावे।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित, हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया।

सही / – (अमनदीपसिंह छाबड़ा)

न्या.मजि.प्रथम श्रेणी, बैहर

जिला बालाघाट

मेरे बोलने पर टंकित किया।

सही/-

(अमनदीपसिंह छाबड़ा) न्या.मजि.प्रथम श्रेणी, बैहर

जिला बालाघाट

